कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/101830 /2929 DATED- 18-5-2022

लोक सूचना

खातेदार हनुमन्त सिंह पुत्र श्री हरीश चन्द मीना निवासी 4–क–10, जवाहर नगर, जयपुर, (राज.) 302004 ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का **आवासीय** उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

अर्थातः–

जिले सहित ग्राम, तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टै.
ग्राम श्रीकिशनुपरा, तहसील सांगानेर	हनुमन्त सिंह पुत्र श्री हरीश चन्द मीना निवासी 4–क–10, जवाहर नगर, जयपुर, (राज.) 302004	984/779	0.1600
कुल		**कुल किता 1**	**कुल रकबा 0.1600 हैक्टेयर**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है। और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 18.5.2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा. जयपुर

PRO/R-386
19.5.22

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 932 दिनांक: 17/5/2022

आम सूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के तहत जोन–7 के क्षेत्राधिकार में स्थित जय अम्बे गृ.नि.स.स. की योजना–सरीता विहार, के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या
1	श्री ओम प्रकाश सिंह एवं महेन्द्र सिंह	ब्रजमोहन सिंह	03
2	श्रीमती गायत्री शर्मा	जेठाराम शर्मा	18
3	श्रीमती संगीता सैन	श्री महावीर कुमार सैन	15
4	श्री गौरव	श्री भरत सिंह	20
5	श्रीमती सुशीला देवी	श्री नारायण सिंह	09
6	श्री कृष्ण कुमार मिश्रा	श्री प्रकाश चन्द मिश्रा	17–ए
7	श्रीमती गीता कंवर	श्री गंगा सिंहं	14
8	श्रीमती ललीता देवी	श्री रूपनारायण	24 (पश्चिमी भाग)
9	श्री ओंकार शर्मा	श्री कजोड़ मल शर्मा	23
10	श्री गिरिराज सिंह सांखला	स्व. श्री फतेह सिंह	07
11	श्रीमती हेमलता गौड़	श्री कमल किशोर चौहान	06
12	श्री राम सिंह	श्री नारायण सिंह	08
13	श्रीमती आशा सैन	श्री रामबाबू सैन	17 (उत्तरी भाग)
14	श्रीमती ललीता शर्मा	श्री राधेश्याम शर्मा	13
15	श्रीमती बसन्त कंवर	श्री माल सिंह	04
16	श्रीमती सुधा देवी	श्री विजय जांगिड	19–ए
17	श्रीमती लल्ली देवी	श्री मातादीन दीक्षित	01–ए
18	श्रीमती गंगा माहेश्वरी	श्री गिरिराज माहेश्वरी	19
19	श्री मोहन सिंह शेखावत	स्व. श्री भरत सिंह	10
20	श्रीमती शोभा कंवर	श्री विरेन्द्र सिंह	20–ए
21	श्री मंगट राजेन्द्रन	श्री पी.के.एस. शंकरन	13, स्कीम नम्बर–9बी (भान नगर) अतिरिक्त भू–पट्टी के आवंटन हेतु।

PRO/R-385 18.5.22

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर–219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचीत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / जोन–9 / 2022 / डी– 2946 दिनांक :– 18.5.2022

विज्ञप्ति

प्रार्थी कजोड़ मल मीना पुत्र श्री गणेश मीना, श्री छोटी लाल मीना, राजू लाल मीना, ग्यारसी लाल मीना, मंगल राम मीना पुत्रान श्री बिरदा राम मीना निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 97 रकबा 0.05 हैक्टे. खसरा नम्बर 98 रकबा 0.10 हैक्टे. खसरा नम्बर 99 रकबा 0.10 हैक्टे. खसरा नम्बर 101 रकबा 0.01 हैक्टे. खसरा नम्बर 102 रकबा 0.68 हैक्टे. कुल किता 5 रकबा 0.94 हैक्टे. भूमि मे स्थित निजी खातेदारी की आवासीय योजना **"गणेश विहार विस्तार"** के आवंटियों को पट्टे जारी करने का निवेदन किया गया है। विकासकर्ता द्वारा योजना का रेरा पंजीकरण करवा लिया गया है – रेरा पंजीयन क्रमांक RAJ/P/2022/1915 दर्ज है। योजना के आवंटियों को सूचित किया जाता है कि योजना की अनुमोदन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और जविप्रा द्वारा पट्टे जारी किये जाने है। आवंटी बांछित दस्तावेजात एवं नियमानुसार आवेदन कर **दिनांक** 26/05/22 से पट्टा प्राप्त कर सकते है।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र मे प्रकाशित करावें।
2. प्रभारी अधिकारी, नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की योजना "गणेश विहार विस्तार" का दिनांक 26/05/22 को कैम्प प्रस्तावित किया गया है। अतः नागरिक सेवा केन्द्र मे उक्त योजना से सम्बन्धित पत्रावलियों को प्राप्त कर उसी दिन जोन मे प्रेषित करने की व्यवस्था कराने का श्रम करावें ताकि कैम्प दिवस को आवंटियों को लीजडीड जारी की कार्यवाही की जा सकें।
3. कजोड मल मीना पुत्र श्री गणेश मीना, श्री छोटी लाल मीना, राजू लाल मीना, ग्यारसी लाल मीना, मंगल राम मीना पुत्रान श्री बिरदा राम मीना निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

PRO/R-387
19.5.22

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–9/2022/डी– 2944 दिनांक– 18.5.2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तानान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तानान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	08	302.22 व. ग.	बाल विहार (हथरोई गढ़ी गृ.नि. स.स.)	सुगन लाल मीणा पुत्र श्री गिरधर पटेल	श्रीमती सांवली मीणा पत्नी स्व. श्री गिरधर पटेल	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजीकृत वसीयत

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

sd/-

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा,जयपुर

PRO/R-388
19.5.22

प्रतिलिपि–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा,जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / जोन–9 / 2022 / डी–2943 दिनांक– 18.5.2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तानान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तानान्तरण / लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	47	187.84 व. ग.	गंगा एनक्लेव–6	श्री सुधीर काला पुत्र श्री धर्मानंद काला	श्री गंगाराम चौधरी पुत्र श्री नारायण चौधरी	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र गुम होने पर

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति / हितधारी / संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-389
19.5.22

प्रतिलिपी–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर

Azadi Ka Amrit Mahotsav

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकःजविप्रा / उपा. जोन–8 / 2022 / डी–1357 दिनांकः–18/5/2022

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	खातेदार / आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	49	कृष्णा सरोवर–प्रथम (निजी खातेदारी)	श्रीमती सकुंतला देवी पत्नी श्री रामावतार	श्री रामस्वरूप सैनी पुत्र श्री हरीनारायण सैनी	आवेदित भूखण्ड का जविप्रा द्वारा जारी पट्टा विलेख व साईट प्लान गुम होन के कारण थाना मालपुरा गेट मे दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट
2	107	हरे कृष्णा विलेज–द्वितीय (निजी खातेदारी)	श्री राहुल मेहन्दीरत्ता पुत्र श्री श्याम सुन्दर मेहन्दीरत्ता	मैसर्स हरे कृष्णा होटल्स प्रा0लि0 डायरेक्टर ओ.पी.मोदी पुत्र श्री पूरणमल मोदी	अपंजीकृत मुख्त्यारआम दिनांक 12.04.2007
3	जेड सी–02	नारायण विहार जेड–ब्लॉक (निजी खातेदारी)	रेखा गुप्ता (नाबालिक) पुत्री जरिये संरक्षिका श्री संजय गुप्ता	श्रीमती सकुंतला देवी पत्नी श्री ज्ञानचन्द अग्रवाल	अपंजीकृत वसीयत दिनांक 10.06.2017

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-390
19.5.22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.स	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.
1.	श्री बंशी लाल सैनी पुत्र श्री ग्यारसी लाल सैनी दी शिवा कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. योजना 6डी इंजीनियर्स कॉलोनी	डी-69ए	204.00

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक **14.03.22** के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि आॅन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्व निस्तारण किया जा सके।

उपायुक्त
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा,जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांकः जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /**2022**/डी- 925/17.05.2022

PRO/R-351
19.5.22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांकः—जविप्रा/उपा./पीआरएन—उत्तर(द्वितीय)/2022/डी— 536 दिनांकः— 16/5/22

—:सार्वजनिक सूचनाः—

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू—आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर—द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये है। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:—

क्र. स.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री नरेन्द्र कुमावत/श्री लक्ष्मीनारायण कुमावत (टैगोर नगर गृ0लि0स0स0लि0की योजना—शिव नगर)	1	147.37
2	श्री नीतिन शर्मा/बजरंग लाल शर्मा (श्री लक्ष्मी गृ0 नि0 स0स0लि0की योजना—श्री गिरिराज विहार)	123	145.41
3	श्री मोहन लाल धाकड/बालूराम धाकड (श्री महावीर स्वामी गृ0 नि0 स0स0लि0की योजना—विकास नगर—बी)	79ए	150
4	श्रीमती शकुन्तला देवी/चतुर्भुज शर्मा (श्री महावीर स्वामी गृ0 नि0 स0स0लि0की योजना—विकास नगर—बी)	8	541.66
5	श्री रामकिशन झालानी/हरिनारायण झालानी (अपोलो नगर हाउ.को.आप.सो.लि0की योजना—जगदम्बा नगर ए)	152बी	134.43
6	श्री गणेश चौधरी/भूराराम चौघरी (श्री महावीर स्वामी गृ0 नि0 स0स0लि0की योजना—विकास नगर—बी)	154बी	583.33
7	श्री दिनेश केशवानी/अर्जुन लाल (मीनावाला गृ.नि.स.स.लि0जयपुी की योजना—पवनपुत्र—जी)	205	200.43
8	श्री अशोक केशवानी/अर्जुन केशवानी (मीनावाला गृ.नि.स.स.लि0जयपुी की योजना—पवनपुत्र—जी)	211	225
9	श्री बाबूलाल कटारिया/सोहन लाल कटारिया (हथरोईगढी गृ.नि.स.स.लि.की योजना—चन्दा विहार)	79	212.39
10	श्रीमती धापू कंवर/भंवर कंवर (सूरजपोल गेट गृ.नि.स.स.लि.की योजना—कमला नगर)	जी—6ए	200
11	श्रीमती प्रीति भारद्वाज/नीलकमल (श्री लक्ष्मी गृ0लि0स0स0लि0की योजना—मां हिंगलाज नगर—बी)	283, 283ए	137, 137
12	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा/नारायण प्रसाद वर्मा (बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स.लि.की योजना—द्रोणपुरी)	26	333.33
13	श्रीमती कौशल्या/बुगलाराम (अपोलो नगर को0आप0हा0 सो0 लि0की योजना—जगदम्बा नगर—डी)	डी—649	251.38
14	श्रीमती सीमा कुमावत/प्रेमचन्द कुमावत (सूरजपोल गेट ग.वि.स.स.लि.की योजना—समता नगर)	36	175
15	रीना शर्मा/सुरेश (बुनियादी विकास गृ.नि.स.स.लि.की योजना—चन्द्र वाटिका—ए)	ए—51 वेस्ट पार्ट	88.88
16	श्रीमती सुनीता सिंह/जब्बर सिंह (श्री लक्ष्मी गृ0लि0स0स0लि0की योजना—मां हिंगलाज नगर—बी)	81	200
17	श्री राम सहाय शर्मा/लक्ष्मीनारायण शर्मा (अपोलो नगर को0आप0हा0 सो0 लि0की योजना—जगदम्बा नगर—डी)	डी—339	166.66
18	श्री संजय यादव/अनवर सिंह (अम्बेश्वर गृ.नि.स.स.लि.की योजना—रजनी विहार)	106	500
19	श्री रामकिशन झालानी/हरिनारायण झालानी (अपोलो नगर को0आप0हा0 सो0 लि0की योजना—जगदम्बा नगर—ए)	152बी	134.43
20	श्रीमती संजू कंवर/मीठू सिंह शेखावत (दी महावीर हा.को.सो.लि.जयपुर की योजना—बसन्त विहार)	86	183.33
21	श्रीमती सन्तरा शर्मा/इन्दु कुमार भारद्वाज (बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स.लि.की योजना—द्रोणपुरी)	232	134
22	श्री सीताराम चौपडा/जगन्नाथ चौपडा (अपोलो नगर को0आप0हा0 सो0 लि0की योजना—जगदम्बा नगर—सी)	सी—27	333
23	श्रीमती तेज कंवर/नरपत सिंह (टैगोर नगर गृ.नि.स.स.लि.की योजना—शिव नगर)	82	183.33

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

PLO/R-392 19.5.22

उपायुक्त पीआरएन—उत्तर—II
जविप्रा जयपुर।

उपायुक्त पी.आर.एन. (उत्तर—II) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

प्रतिलिपिः—

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।
2. उक्त पत्रावलियों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन—उत्तर—II
जविप्रा जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपायुक्त जोन–1/2022/डी–1450 दिनांकः– 18/5/22

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर की मालवीय नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या–डी–632 श्री रामावतार शर्मा पुत्र श्री ओंकार मल शर्मा को आवंटन पत्र जारी किया गया है। श्री जगदीश टिलवानी एवं देवेंद्र टिलवानी पुत्रान स्वः श्री जम्मूमल टिलवानी द्वारा रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, इस संबंध में मूल आंवटित (1) श्री रामावतार द्वारा रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा, श्री विष्णु कुमार सिंघल को किया गया था। उक्त मुख्तयारनामा की मूल प्रति आवेदक के पास उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा उपपंजीयन कार्यालय से प्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। (2) श्री विष्णु कुमार सिंघल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र श्री प्रमोद कुमार पारीक एवं श्री पवन कुमार पारीक को किया गया है। (3) HDFC BANK SIGN AUTHORITY MRITUNJAL VISHWAKARMA द्वारा अचल संपति का श्री जगदीश टिलवानी एवं देवेंद्र टिलवानी को निलामी किया गया है। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण करवाने हेतु प्रार्थीया श्री जगदीश टिलवानी एवं देवेंद्र टिलवानी ने नामहस्तान्तरण करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की 15 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी–एसएफ–202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार नामहस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

PRO/R-393 19.5.22

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

18/05/2022

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302 004

फोन : 0141–2573150 (O) 0141–2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा / जोन–06 / उपा. / डी– 1485 दिनांक 19/5/2022

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :– धारा 90ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : लोक सूचना विज्ञप्ति।

उपायुक्त जोन–06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

उपायुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-397
19.5.22

२५.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....1489.....

दिनांक.....19/5/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **निजी खातेदारी** की योजना **कृष्णा कॉलोनी–III** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
झोटवाड़ा तहसील जयपुर।	1014	0.2656 हैक्ट.	नारायण पुत्र भौरिया हि. पूर्ण जाति रैगर सा.देह खातेदार
	1015	0.0632 हैक्ट.	काना पुत्र मोती हि. पूर्ण जाति रैगर सा.देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....18/5/22.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–06 जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-6 जविप्रा, जयपुर

PRO/R-357
19.5.22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा / जोन–06 / उपा. / डी– 1491 दिनांक 19/5/2022

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :– धारा 90ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : लोक सूचना विज्ञप्ति।

उपायुक्त जोन–06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

PRO R396 19.5.22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या.......1491 दिनांक....19/5/2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **निजी खातेदारी** की योजना **दया देवी गार्डन** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
झोटवाड़ा तहसील जयपुर।	**973/1334**	**0.6576 हैक्ट.**	श्री लादू पुत्र किशनलाल सुलानिया हि. पूर्ण जाति बैरवा सा.देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक....18/5/2022....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–06 जविप्रा, जयपुर।

PRO/R396
19.5.22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा / उपा. / जोन–12 / 2022 / डी– 1052 दिनांक 18-5-2022

PRO/R-398
19.5.22

–: सार्वजनिक सूचना :–

भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासीय योजना न्यू कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 10 क्षेत्रफल 183.00 व. मी. का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	योजना का नाम	मूल आंवटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन / रजिस्ट्रर्ड दस्तावेजों की चैन का विवरण	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	10	183.00	न्यू कॉलोनी	श्री हनुमान सहाय सैन पुत्र श्री श्याम लाल सैन	सोसायटी द्वारा नाम हस्तान्तरण श्री श्याम लाल सैन पुत्र श्री बदरी नाई के पक्ष कर दिया गया।	श्री श्याम लाल सैन पुत्र श्री बदरी नाई, निवासी–321, गवर्नमेन्ट स्कूल के पीछे, मीणों का मोहल्ला, गांव नींदड, वी.के.आई एरिया, आमेर जयपुर।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर नाम हस्तान्तरण करने में किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष मे कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर अथवा राजस्थान पत्रिका के साथ एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. श्री श्याम लाल सैन पुत्र श्री बदरी नाई, निवासी–321, गवर्नमेन्ट स्कूल के पीछे, मीणों का मोहल्ला, गांव नींदड, वी.के.आई एरिया, आमेर जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आशय का शपथ पत्र पेश करे कि प्रश्नगत भूखण्ड के सबंध में इकरारनामा / विक्रय पत्र नही किया गया है।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2021-22/101278 दिनांक: 17/09/2021

लोक सूचना

पुरूषोत्तम कुमार पुत्र रामफल जाति जाटव, फ्लेट नं. 306, डी ब्लॉक, यू.डी.बी. आर्चिड, ग्राम महापुरा, पिंक पर्ल के सामने, अजमेर रोड, जयपुर एवं कौशिकी कुमार पत्नी पुरूषोत्तम कुमार जाति ब्रा. म.नं. 1422–8, बिस्वा वार्ड नं. 3, ब्लॉक 16, भवन 4, गुडगांव–122001
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **इन्फास्ट्रक्चर एवं वेयर हाऊस (कृषि प्रसंस्करण इकाई)** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात–

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	पीपला भरतसिंह सांगानेर (जयपुर)	**पुरूषोत्तम कुमार पुत्र रामफल जाति जाटव, फ्लेट नं. 306, डी ब्लॉक, यू.डी.बी. आर्चिड, ग्राम महापुरा, पिंक पर्ल के सामने, अजमेर रोड, जयपुर।**	203	0.0344
			203/4	0.0629
			203/5	0.0627
			203/6	0.0531
			203/8	0.0627
			203/9	0.0344
2	पीपला भरतसिंह सांगानेर (जयपुर)	**कौशिकी कुमार पत्नी पुरूषोत्तम कुमार जाति ब्रा. म.नं. 1422–8, बिस्वा वार्ड नं. 3, ब्लॉक 16, भवन 4, गुडगांव–122001**	203/3	0.0630
			203/7	0.0715
			कुल	**0.4447**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **17-09-2021** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/101845 दिनांकः 19/05/2022

लोक सूचना

श्री **RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT LTD AUTHORIZED DIEECTOR KISHOR KUMAR SAINI** पुत्र श्री **DHUKAL RAM SAINI** जाति **MALI** निवासी **709 -OKAY PLUS SEC. 7 MANSROWAR , JAIPUR** ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	जयपुरियो का बास, जयपुर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PVT. LTD.	231/213	20000	2
				कुल	**2**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **19-05-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101840

दिनांक: 19/05/2022

लोक सूचना

श्री **ADHIRAJ SINGH** पुत्र श्री **PRITHVI RAJ SINGH** जाति **RAJPUT** निवासी **GREEN ACRES KALWAR ROAD, MACHWA,KALWAR, JAIPUR , 303706**

श्रीमति **SUCHETA PANICKER** पत्नी श्री **SHASHI PANICKER** जाति **PANIICKER** निवासी **F 58B KALIDASS MARG, SPACE CINEMA KE PASS , BANI PARK, JAIPUR 302016**

श्रीमति **SUJATA SINGH** पत्नी श्री **PRITHVI RAJ SINGH** जाति **RAJPUT** निवासी **D66 (B) SAWAI MADHO SINGH ROAD, BANIPARK JAIPUR 302016**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	माचवा, जयपुर (जयपुर)	SUJATA SINGH W/O PARTHIVI RAJ SINGH	410/5	7000	0.7
2.	माचवा, जयपुर (जयपुर)	ADHIRAJ SINGH S/O PARTIVI RAJ	411/1	4800	0.48
3.	माचवा, जयपुर (जयपुर)	SUCHETA PANICKER W/O DR. SHASHIPANICKER	1000/382	8000	0.8
				कुल	**1.98**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **19-05-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर